

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 93/2022 वाद
GCMS No. - 2022/280

1. रविन्द्र भूतड़ा पुत्र श्री रामेश्वरलाल जी भूतड़ा जाति माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादी

बनाम

1. युसूफ अली पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
2. शब्बीर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. नुरुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह.
4. अब्बास अली पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा 4 तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. जैनुद्दीन मृतक के बजाय
5/1- ताहीर अली पिता जैनुद्दीन बोहरा आयु 35 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5/2- जुमाना पिता जैनुद्दीन बोहरा आयु 27 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5/3- फातिमा पिता जैनुद्दीन बोहरा आयु 32 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5/4- रूकैय्या बेवा जैनुद्दीन बोहरा आयु 55 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
6. सेफुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
7. खदीज बेगम बेवा मोहम्मद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
8. जोयब अली पुत्र सज्जाद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
9. मु० रूबाब पत्नी सज्जाद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
10. कमरुद्दीन पुत्र सज्जाद हुसैन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
11. बानो बाई पुत्री सेफुद्दीन जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
12. बतुल बाई पत्नी अकबर अली जाति बोहरा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
13. बाबुबाई पत्नी काशीराम जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सांपलीया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
14. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थत :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी
2- श्री अनुराग औझा - अधिवक्ता प्रतिवादीगण



:: निर्णय ::

दिनांक :- 11.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण न. 1 ता 13 की

संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा बामनिया प०ह० मण्डलाचारण तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 90 की आराजी नं० 255 रकबा 1.6600 हैक्टेयर लगानी 5 रुपये 81 पैसा, आराजी नं० 256 रकबा 2.3800 हैक्टेयर लगानी 11 रुपये 90 पैसा, आराजी नं० 261 रकबा 7.0100 हैक्टेयर लगानी 35 रुपये 05 पैसा. आराजी नं० 335 रकबा 0.8700 हैक्टेयर लगानी 16 रुपये 53 पैसा, आराजी नं० 336 रकबा 0.2200 हैक्टेयर लगानी 1 रुपये 10 पैसा कुल किता 5 कुल रकबा 12.1400 हेक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 25.04.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेडा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री रविन्द्र भूतड़ा पिता रामेश्वरलाल भूतड़ा निवासी रानीखेड़ा खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
335	0.87	5.03
336	0.22	1.27
261 दक्षिण	3.60	20.84

कुल किता-3 4.69 हैक्टेयर 27.14

2 अब्बासअली, जैनुद्दीन, नुरुद्दीन, युसुफ अली, शब्बीर हुसैन, सैफुद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन, खदीजा बेगम पत्नी मोहम्मद हुसैन बोहरा निवासी निम्बाहेडा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
256	2.38	13.78
261	1.67	9.66

कुल किता-2 4.05 23.44

3 आबिद हुसैन 1156/34000, जोयब अली 9261/34000, मंसुरअली 1156/34000, बिल्किस 296/34000, सलमाबाई 1156/34000, साराबाई 1156/34000, पिता सज्जाद हुसैन बोहरा सा. निम्बाहेडा, बतुलबाई पत्नी अकबर अली 8093/34000, बानोबाई पिता सैफुद्दीन 1618/34000 बोहरा सा. निम्बाहेडा खातेदार, बाबुबाई पत्नी काशीराम 76/340 धाकड़, भेरूलाल 1254/34000, शांतिलाल 1254/34000, पिता काशीराम धाकड़ सा. सांपलिया खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिनोता हिस्सा बाबुबाई

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
255	1.66	9.61
261	1.74	10.07

कुल किता-2 3.40 19.68

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1 श्री रविन्द्र भूतड़ा पिता रामेश्वरलाल भूतड़ा निवासी रानीखेड़ा खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
335	0.87	5.03
336	0.22	1.27
261 दक्षिण	3.60	20.84

कुल किता-3 4.69 हैक्टयेर 27.14

2 अब्बासअली, जैनुद्दीन, नुरुद्दीन, युसुफ अली, शब्बीर हुसैन, सैफुद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन, खदीजा बेगम पत्नी मोहम्मद हुसैन बोहरा निवासी निम्बाहेड़ा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
256	2.38	13.78
261	1.67	9.66

कुल किता-2 4.05 23.44

3 आबिद हुसैन 1156/34000, जोयब अली 9261/34000, मंसुरअली 1156/34000, बिल्किस 296/34000, सलमाबाई 1156/34000, साराबाई 1156/34000, पिता सज्जाद हुसैन बोहरा सा. निम्बाहेड़ा, बतुलबाई पत्नी अकबर अली 8093/34000, बानोबाई पिता सैफुद्दीन 1618/34000 बोहरा सा. निम्बाहेड़ा खातेदार बाबुबाई पत्नी काशीराम 76/340 धाकड़, भेरूलाल 1254/34000, शांतिलाल 1254/34000, पिता काशीराम धाकड़ सा. सांपलिया खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बिनोता हिस्सा बाबुबाई

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
255	1.66	9.61
261	1.74	10.07

कुल किता-2 3.40 19.68



तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुँच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा